

05.08.21.

वकील उभय पक्ष उप०। उभय पक्ष को प्रा०पत्र आ०
३ नि० १ आ० दी पर सुना गया। वकील अपीलान्ट द्वारा
दिनांक 11.05.18 को पेश लिखित बयान एवं रेल्सो-
1, 3 नं० की ओर से जरिअे वकील जबाब बटस प्रा०पत्र
जो दिनांक 19.06.18 को पेश हुआ, पर मनन कर
एवं अवलोकन पश्चात् हम पाते हैं कि किसी भी
तकनीकी कर्मा की वजह से पक्षकार न्याय की अनु-
भूति से वंचित न रहे। अतः प्रा०पत्र आ० १ नि० १
आ० दी 500/- की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता
है। मूल पत्रावली 500/- रु. की विधिक सहायता
समिति की रसीद पेश करने पर नम्बर पर ली आवे
पत्रावली फ़ैसल शमार होकर नम्बर से कम की
जाकर मूल अपील पत्रावली के संलग्न रहे। दिनांक
25.08.21 तक रसीद पेश करें।

भू प्रबन्ध अधिकारी

पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर (राज.)